अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, चाण्डिल

लक्ष्मी नारायण नापित
बनाम
मथुर महतो

धारा– 144 द0प्र0स0 मिस केस न0– 155/2020

—: आदेश :—

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
26.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लक्ष्मीनारायण नापित, पिता– स्व0 हाड़ीराम हजात, ग्राम– कुरमाडीह, पो0– सोड़ो, थाना– ईचागढ़, जिला– सरायकेला–खरसावाँ द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि द्वितीय पक्ष के मथुर महतो, पिता– स्व0 अमिन महतो, ग्राम– कुरमाडीह, टोला– बिस्टाटांड, पो0– सोड़ो, जिला– सरायकेला–खरसावाँ द्वारा आवेदक के भूमि पर जबरन दखल किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि पर शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। **<u>विवादित भूमि का विवरण</u>** मौजा– कुरमाडीह, थाना सं0– 19, खाता सं0– 172, प्लॉट सं0– 986, रकवा– 1.75 ए0 जिसकी चौहदी उ0– स्व0 बिनोद महतो,, द0– रास्ता, पू0– स्व0 ठाकुर दास, प0– जेठु महतो प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि आवेदक लक्ष्मीनारायण नापित, पिता– हाड़ीराम हजाम के नाम से खतियान में दर्ज है। जिससे संबंधित खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति आवेदन के समय दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित भूमि स्वंय रैयत लक्ष्मीनारायण नापित द्वारा विक्रय दलील सं0– 848, दिनांक– 17.05.1960 द्वारा द्वितीय पक्ष के मथुर महतो की दादी शनिया महतानी को विक्रय किया गया परन्तु विक्रय दलील पत्र केता को भूमि क्रय के 10(दस) वर्षो के बाद हस्तगत किया गया, जिससे कि Survey settlement 1964 में आवेदक(प्रथम पक्ष) का नाम ही इन्द्राज कर दिया गया। विक्रय दलील मिलने के पश्चात ना0मु0 सं0– 4/70–71 के तहत शनिया महतानी के नाम पर नामांतरण करा लिया गया एवं क्रय के पश्चात से ही शनिया महतानी का उक्त विवादित भूमि पर दखल कब्जा कायम है। अतः अभिलेख में धारित दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, ईचागढ़ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि धारा–144 द0प्र0सं0 के तहत विवादित भूमि पर लगाई गई निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के विरूद्व स्थाई करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्व रिक्त किया जाता है। अतः उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं अभिलेख बंद किया जाता है। लेखापित 26/11/20 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल। 26/11/20 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल।	